संख्या:19/2018/532जेएल/22-3-18-100(122)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2018***

विषय: जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अभिषेक सिंह उर्फ माइकल पुत्र श्री रामचन्द्र को जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10308/सामा-1(3ए)फै0परि0/2018, दिनांक 16-03-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानानुसार जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अभिषेक सिंह उर्फ माइकल पुत्र श्री रामचन्द्र को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:19/2018/532जेएल(1)/22-3-18-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
4. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ एवं अधीक्षक, जिला कारागार, सुलतानपुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in